नमाज़ न पढ़ने वाले के रोज़ा का हुक्म

﴿ حكم من يصوم وهو تارك للصلاة ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ حكم من يصوم وهو تارك للصلاة ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

नमाज़ न पढ़ने वाले के रोज़ा का हुक्म

प्रश्नः

उस आदमी का हुक्म क्या है जो रोज़ा रखता और नमाज़ को छोड़ देता है, क्या उसका रोज़ा शुद्ध है ?

उत्तरः

सही बात यह है कि जानबूझकर नमाज़ को छोड़ देने वाला काफिर हो जाता है, और इस कारण उस का रोज़ा और उस की अन्य इबादतें शुद्ध नहीं होती हैं, यहाँ तक कि वह अल्लाह सुब्हानहु व तआला से तौबा कर ले, क्योंक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का फरमान है :

﴿ وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨ ﴾ [الأنعام: ٨٨]

''यदि उन्हों ने भी शिर्क किया होता तो जो कुछ वे किया करते थे सब नष्ट हो जाता।'' (सूरतुल अंआम : 88)

और इस अर्थ की आयतें और हदीसे और भी हैं।

तथा विद्वानों का एक समूह इस बात की तरफ गया है कि वह इस के कारण काफिर नहीं होगा, और उस का रोज़ा बातिल नहीं होगा यदि वह उस के वाजिब होने को स्वीकारता है, किन्तु सुस्ती और लापरवाही में उसने नमाज़ छोड़ दी है। दोनों विचारों में सहीह पहला कथन है, और वह यह कि वह जानबूझकर नमाज़ छोड़ने के कारण काफिर हो जाये गा, भले ही वह उसके अनिवार्य होने को स्वीकार करता हो। इसके बहुत से प्रमाण हैं, उन्हीं में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है :

''(मुसलमान) व्यक्ति के बीच और कुफ्र व शिर्क के बीच (अंतर) नमाज़ का छोड़ देना है।''

इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब ''सहीह मुस्लिम'' में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस से रिवायत किया है।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

''हमारे और उन (मुश्रिकों और काफिरों) के बीच प्रतिज्ञा (अहद व पैमान) नमाज़ है, अतः जिस ने नमाज़ छोड़ दी उस ने कुफ्र किया।''

इसे इमाम अहमद और चारों अहले सुनन (अर्थात अबू दाऊद, तिर्मिज़ी नसाई और इब्ने माजा) ने सहीह सनद के साथ बुरैदा बिन हसीब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस से रिवायत किया है।

अल्ललामा इब्नुल क़ैयिम ने इस विषय में स्थायी रूप से एक पुस्तिका के अंदर नमाज़ के अहकाम और उसके छोड़ने के बारे में विस्तार से चर्चा

किया है। यह एक लाभदायक पुस्तिका है जिस को पढ़ना और उस से लाभ उठाना उचित है।

(आदरणीय शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की पुस्तक ''तोहफतुल इख्वान'' पृ. 232–233)।